रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 9, 1985 (माघ 20, 1906)

No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 9, 1985 (MAGHA 20, 1906)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	165
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	161
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	157
भाग II—खंड I—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	351
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	561
भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	5
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	39
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	4433
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	153
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	53
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	595
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	21
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGES
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	165
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	161
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	157
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) on General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	4433
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta	15*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .	53
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	595
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	21
PART V—Suppliment showing statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folios Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना मंत्रालय

सांख्यिकी विभाग

नई दिल्ली–1, दिनांक 18 जनवरी 1985

सं० एम–13011/1/82–रा० प्र० सर्वे०–II—भारत सरकार सांख्यिकी विभाग के दिनांक 26–3–84 के अनुशेष (एंडेन्डम) सं० एम–13011/2/80–रा० प्र० सर्वे०–II के साथ पठित दिनांक 5 मार्च 1970 के संकल्प सं० डी० एस०/एस० टी० एस०/4–69 के पैरा 5 के उपबन्धों के अनुसार भारत सरकार एतद् द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की शासी परिषद् 20 नवम्बर, 1984 से पुनर्गठित करती है। परिषद का गठन निम्न प्रकार से होगा:—

गैर-सरकारी

1. प्रो० बी० एस० मिन्हास, सी–118, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली–110024, — अध्यक्ष
2. प्रो० एन० भट्टाचार्य, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, 203, बी० टी० रोड़, कलकत्ता–700035. — सदस्य
3. श्री ए० के० अधिकारी भारतीय सांख्यिकीय संस्थान 203, बी० टी० रोड़, कलकत्ता–700035. — सदस्य
4. डा० बी० डी० शर्मा, उप कुलपति नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी लोअर लैचनमियोर, शिलांग–793001. — सदस्य
5. प्रो० के० कृष्णामूर्ति आर्थिक विकास संस्थान यूनिवर्सिटी एन्कलेव दिल्ली–110007. — सदस्य
6. डा० सी० टी० कुरियन निदेशक मद्रास इन्स्टीट्यूट आफ डिवलपमैन्ट स्टडीज, 79, द्वितीय मैन रोड़, गांधी नगर, मद्रास–600020. — सदस्य

सरकारी

7. डा० एस० पी० गुप्ता, सलाहकार, योजना आयोग नई दिल्ली। — सदस्य
8. मुख्य सलाहकार भारतीय रिजर्व बैंक बम्बई, — सदस्य
9. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय गुजरात सरकार, सेक्टर–19, गांधी नगर–382010; — सदस्य
10. निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी कर्नाटक सरकार, मल्टी स्टोरिड बिल्डिंग डा० बी० आर० अम्बेदकर विधि; बंगलौर–560001. — सदस्य
11. निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171004. — सदस्य
12. महानिदेशक केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी विभाग, नई दिल्ली. — सदस्य
13. कार्यकारी निदेशक संगणक केन्द्र, सांख्यिकी विभाग, नई दिल्ली. — सदस्य
14. निदेशक सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग; रा० प्र० सर्वे० सं०, कलकत्ता–700017. — सदस्य
15. निदेशक क्षेत्र संकार्य प्रभाग रा० प्र० सर्वे० सं०, नई दिल्ली–110022. — सदस्य

16. निदेशक — सदस्य
समंक विधायन प्रभाग,
रा० प्र० सर्वे० सं०,
कलकत्ता–700017.

17. निदेशक — सदस्य
आर्थिक विश्लेषण प्रभाग,
रा० प्र० सर्वे० सं०,
नई दिल्ली–110008.

18. मुख्य कार्यकारी अधिकारी — सदस्य–सचिव
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन,
सांख्यिकी विभाग,
नई दिल्ली.

3. अध्यक्ष के पद का पांच साल का वर्तमान कार्यकाल 19–1–1985 तक है।

3. क्रम सं० 2 से 11 तक उल्लिखित संस्थानों तथा राज्य सरकारों/केन्द्रीय मंत्रालयों से गैर सरकारी/सरकारी सदस्यों की नियुक्तियां 20–11–1984 से दो वर्ष की अवधि के लिए रहेंगी।

महेन्द्र नाथ, उप सचिव

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 1985

संकल्प

सं० एन०एम०सी०/1/85—सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिकी तथा विशिष्ट रूप से बड़े पैमाने तथा बहुत बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों (एल०एस०आई०/वी०एल०एस०आई०) को सभी जगह उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित किसी भी विकास कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण एवं समर्थकारी प्रौद्योगिकी के रूप में माना जाता है। इलैक्ट्रॉनिकी विभाग ने बड़े पैमाने/बहुत बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों (एल०एम०आई०/वी०एल०एम०आई०) के बारे में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने के लिए फरवरी, 1982 में एक उच्च-स्तरीय कार्य-दल का गठन किया था। इस कार्य-दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें 5–माइक्रॉन प्रौद्योगिकी पर आधारित एक चिप पर 33,000 संघटक-पुर्जों के स्तर से 1-माइक्रॉन प्रौद्योगिकी पर आधारित चिप पर दस लाख संघटक-पुर्जों की संरचना करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए एक व्यापक-कार्यक्रम का सुझाव दिया गया था। जिस कार्यक्रम का सुझाव दिया गया है, उसके अंतर्गत एक दशक की अवधि के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए का परिव्यय अन्तर्निहित है। जिस व्यापक पैमाने पर इस राष्ट्रीय कार्यक्रम की संकल्पना की गई है, उस पर निगरानी रखने तथा समन्वय का कार्य करने के लिए कार्य-दल ने एक "राष्ट्रीय-सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी परिषद् (एन०एम०सी०)" स्थापित करने की सिफारिश भी की थी। इलैक्ट्रॉनिकी आयोग ने इस कार्य-दल की रिपोर्ट पर विचार किया और इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

तदनुसार, भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिकी परिषद् स्थापित करने का निर्णय किया है जिससे सम्पूर्ण कार्यकारी तथा वित्तीय शक्तियां प्राप्त होंगी।

गठन : इस परिषद् में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. अध्यक्ष, इलक्ट्रॉनिकी आयोग — अध्यक्ष
2. सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग — सदस्य
3. सचिव, अंतरिक्ष विभाग — सदस्य
4. सचिव, संचार मंत्रालय — सदस्य
5. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग — सदस्य
6. सचिव, रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग — सदस्य
7. सचिव, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग (रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार) — सदस्य
8. सचिव, शिक्षा मंत्रालय — सदस्य
9. महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् — सदस्य
10. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग — सदस्य
11. सदस्य (वित्त), इलेक्ट्रॉनिकी आयोग — सदस्य
12. सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी आयोग — सदस्य
13. सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में — सदस्य

तथा

14. दो विशेषज्ञ

15. सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी परिषद् — सदस्य-सचिव

कार्य : परिषद् पर निम्नलिखित कार्यों का उत्तरदायित्व होगा;

1. केन्द्रस्थ-बिन्दु के रूप में कार्य करने वाली संस्था ताकि इस बात का सुनिश्चय हो सके कि सूक्ष्मइलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में समग्र कार्यक्रम की दिशा, गति तथा गुणवत्ता ऐसी हो जिससे इस कार्य में लगी विभिन्न एजेन्सियों के प्रयासों से संपूर्ण राष्ट्र लाभान्वित हो;

2. सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय योजना तैयार करने, उसकी आवधिक समीक्षा करने तथा उसे अद्यतन बनाने का कार्य, जिसमें सभी क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास, प्रौद्योगिकी विकास, उत्पादन, अनुप्रयोग, आदि कार्य शामिल हैं;

3. सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक परिपथों, और जहां कहीं उपयुक्त हो, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक उप-प्रणालियों और प्रणालियों की राष्ट्रीय आवश्यकताओं का अधिकतम मानकीकरण करने के लिए संवर्धनकारी तथा विनियमक, दोनों प्रकार के उपाय करना;

4. ऊपर विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार राष्ट्र की सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी की अल्प तथा दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकतम आत्मनिर्भरता के आधार पर प्रौद्योगिकी विषयक एक योजना तैयार करना तथा उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना;

5. प्रौद्योगिकी योजना तथा उसके क्रियान्वयन के एक अंग के रूप में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी से संबंधित प्रौद्योगिकी के आयात तथा विदेशी सहयोग/सहायता हेतु सभी प्रस्तावों पर चाहे वे विनिर्माता कंपनियों, अनुसंधान व विकास संस्थानों से प्राप्त हों अथवा अन्य एजेन्सियों से प्राप्त हों—विचार करना तथा उन पर निर्णय लेना;

6. प्रौद्योगिकी योजना के एक भाग के रूप में ही अनुसंधान और विकास का भविष्योन्मुखी ना०आ० नेकरकर पहलुओं सहित एक एकीकृत कार्यक्रम तैयार करना, जिसमें सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के डिजाइन, उत्पादन प्रक्रियाएं, विशेष सामग्रियां और उत्पादन के लिए यथा उचित पूंजीगत वस्तुएं, आदि शामिल हैं तथा इस योजना को क्रियान्वित कराने के लिए जो संवर्धनात्मक उपाय, समन्वय कार्य तथा वित्तीय प्रबंध आवश्यक हों, उन्हें करना इस प्रयोजन के लिए यह परिषद् देश में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी से संबंधित सभी अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों पर विचार करेगी, उन्हें अनुमोदन प्रदान करेगी और उन पर निगरानी रखेगी

7. सभी प्रकार के सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिक परिपथों के लिए समन्वित रूप से पर्याप्त उत्पादन-क्षमता हासिल करने का सुनिश्चय करने के लिए संवर्धनकारी तथा विनियामक, दोनों प्रकार के उपाय करना;

8. प्रयोक्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को, विशेषकर निर्णायक तथा सामरिक महत्व के क्षेत्रों में, अधिकतम आत्मनिर्भरता के आधार पर पूरा कराने का सुनिश्चय करने के लिए उपर्युक्त (3) से (7) पर बताए गए उपायों में तालमेल तथा एकरूपता लाना;

9. राष्ट्र द्वारा सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों के लिए, चाहे वे अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में हों अथवा उत्पादन अथवा अनुप्रयोगों के क्षेत्र में हों, आवश्यक विभिन्न प्रकार के तथा बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति को यथासंभव कम से कम समय में तैयार करने के लिए एक व्यापक योजना तथा विशिष्ट कार्य योजना बनाना और प्राथमिकता के आधार पर उस योजना को क्रियान्वित कराने के लिए आवश्यक संवर्धनकारी समन्वयकारी तथा वित्त-व्यवस्था करना;

10. ऐसी सभी आवश्यक वित्तीय, आयात, औद्योगिक लाइसेंसिंग तथा अन्य विनियमनकारी और संवर्धनकारी नीतियां तैयार करना जो अधिकतम आत्मनिर्भरता के आधार पर सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में इस बात का सुनिश्चय करे कि राष्ट्र इस क्षेत्र में एक सुदृढ़ प्रौद्योगिकीय तथा उत्पादन-क्षमता विकसित कर सके;

11. हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी के सभी अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए जो भी उपाय सुसंगत तथा उपयुक्त हों, उन्हें विनिर्दिष्ट तथा क्रियान्वित करना।

संसद द्वारा अनुमोदित बजट-प्रावधान की सीमा के भीतर इस परिषद् को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए भारत सरकार की प्रशासनिक तथा वित्तीय दोनों प्रकार की शक्तियां प्राप्त होंगी। इस परिषद् को अपनी कार्यपद्धति नियमावली स्वयं बनाने की शक्ति भी प्राप्त होगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एन० डब्ल्यू० नेरुरकर, संयुक्त सचिव

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली—1, दिनांक 19 जनवरी 1985

आदेश

सं० 271/2/84—सी०एल०—2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 क की उपधारा (1) के खंड (ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस आदेश के अनुलग्नक 'क' में वर्णित कम्पनियों की लेखा बहियों, अन्य बहियों और कागजातों का निरीक्षण सम्पन्न करने के लिए आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय में लागत लेखा अधिकारी श्री जे० के० पुरी को प्राधिकृत करती है। वे अपनी रिपोर्ट कम्पनी कार्य विभाग को प्रस्तुत करेंगे और इस सम्बन्ध में अपनी शक्तियों के निर्वहन और अपने कार्यों को करने में उक्त विभाग के नियंत्रणाधीन होंगे।

अनुलग्नक 'क'

1. मैसर्स प्रकाश ट्यूब्स लि०
2. मै० जोतिन्द्रा स्टील एण्ड ट्यूब्स लि०
3. मै० रबीन्द्रा ट्यूब्स लि०
4. मै० एप्पीजय ट्यूब्स प्रा० लि०
5. मै० जिन्दल इंडस्ट्रिज लि०
6. मै० श्री अम्बिका मिल्स लि०
7. मै० खन्डेलवाल ट्यूब्स प्रोपराइटर खन्डेलवाल फेरो एन्ड एलाइज लि०
8. मै० अजन्ता ट्यूब्स लि०
9. मै० हिन्दुस्तान पाईप्स उद्योग लि०
10. मै० जिन्दल (इन्डिया) लि०
11. मै० स्वस्तीक पाईप्स (प्रा०) लि०
12. म० हरियाना ट्यूब मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी (प्रा०) लि०
13. मै० जिन्दल पाईप्स लि०
14. मै० शिवमोनी स्टील ट्यूब्स लि०
15. मै० गुजरात स्टील ट्यूब्स लि०
16. मै० क्वालिटी स्टील ट्यूब्स
17. दी इन्डिया ट्यूब कम्पनी लि०
18. भारत स्टील ट्यूब्स लि०
18. जेनिथ स्टील पाईप्स एन्ड इण्डस्ट्रीज लि०
20. जनक स्टील ट्यूब्स प्रा० लि०
21. यू० पी० मेटल इण्डस्ट्रीज लि०
22. जैन ट्यूब कम्पनी लि०
23. अपोलो ट्यूब्स लि०
24. इन्डियन मेटल एन्ड फेरो एलाइज लि०
25. मेटलमन पाईप मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्रा० लि०
26. सुरेन्द्रा इण्डस्ट्रीज बम्बई प्रा० लि०।

सी० एल० प्रथम, अवर सचिव

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक जनवरी 1985

संकल्प

(इस्पात की ढली हुई वस्तु उद्योग के लिए नामिका का गठन)

सं० 13026(41)/84—ई० आई० एम०—मशीन-निर्माण, परिवहन उपकरणों इत्यादि के लिए मूलभूत उद्योग के रूप में इस्पात की ढली हुई वस्तु उद्योग के बढ़ते हुए महत्व और भूमिका को ध्यान में रखते हुए और मांग, क्षमता, प्रौद्योगिकी के स्तर की अधिक विस्तार से निरन्तर समीक्षा करने और उस क्षेत्र में किये गये विभिन्न प्रयासों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझा जाता है कि उद्योग की समस्याओं की एक विशेषज्ञ सलाहकार निकाय द्वारा निरन्तर समीक्षा की जानी चाहिए। इस्पात की

ढली हुई वस्तु उद्योग के लिए अगस्त, 1982 में गठित की गई नामिका का कार्यकाल 30 अगस्त, 1984 को समाप्त हो गया था। उद्योग की निरन्तर समीक्षा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस्पात की ढली हुई वस्तु उद्योग के लिए नामिका को गठित करने का निर्णय किया है।

2. इस नामिका में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1. श्री एस० सी० ढींगरा, सलाहकार (तकनीकी) एवं पदेन संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली। — अध्यक्ष
2. श्री के० आर० परमेश्वर, सलाहकार (आई० एण्ड एम०), योजना आयोग, नई दिल्ली। — सदस्य
3. श्री ओ० पी० तांतिया, भारतीय इलेक्ट्रिक स्टील कम्पनी लि०, 8-अनिल मैत्रा रोड़, कलकत्ता-700019। — सदस्य
4. श्री वी० रामाकृष्णन, प्रबन्ध निदेशक, मेसर्स रामाकृष्णन स्टील इण्डस्ट्री लि०, करमाडिया-641104, कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट, (तमिलनाडु)। — सदस्य
5. श्री सी० एम० गुप्ता, महाप्रबन्धक, सेन्ट्रल फाउन्ड्री फोर्ज प्रोजेक्ट, बी० एच० ई० एल०, हरिद्वार, यू० पी०। — सदस्य
6. श्री तरुण दास, कार्यकारी निदेशक, एसोसिएशन आफ इण्डियन इंजी० इण्डस्ट्री, 172-जोरबाग, नई दिल्ली। — सदस्य
7. श्री पी० सी० नियोगी, निदेशक, फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट, एच० ई० सी०, रांची। — सदस्य
8. श्री ए० बी० मलिक, औद्योगिक सलाहकार, तकनीकी विकास का महानिदेशालय, नई दिल्ली। — सदस्य
9. श्री एन० विश्वनाथन, निदेशक (स्टोर्स), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली। — सदस्य
10. श्री जे० पी० चौधरी, मै० टाटानगर स्टील लि०, पोद्दार प्वांइट, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-700016. — सदस्य
11. श्री वी० रमण, अध्यक्ष, सीमेन्ट मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, ए० आई० ई० आई०, नई दिल्ली। — सदस्य
12. श्री एस० भारद्वाज, अवैतनिक सचिव, इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ फाउन्डरीमैन, बम्बई। — सदस्य
13. श्री जो० एस० भक्त, निदेशक (मेटल्स), विकास आयुक्त (लघु उद्योग), निर्माण भवन, नई दिल्ली। — सदस्य
14. श्री पी० के० मल्लिक, अपर निदेशक (विकास), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली। — सदस्य
15. श्री दक्षिणामूर्ति, भारतीय मानक संस्था, कलकत्ता. — सदस्य
16. श्री एम० के० अब्दुलहमीद, संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय, रक्षा आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली। — सदस्य
17. श्री आर० बांचू, डी० जी० ओ० एफ०, कलकत्ता। — सदस्य
18. श्री रामाचन्द्रन, महाप्रबन्धक, एच० एम० टी०, बंगलौर। — सदस्य
19. श्री पी० बी० गाडबोले, गोदरेज इण्डिया लिमिटेड, बम्बई। — सदस्य
20. श्री पी० कृष्णामूर्ति, प्रबन्ध निदेशक, मै० सिवानन्द स्टील लि०, 240, घवन बहादुर रोड़, कोयम्बतूर-641002. — सदस्य

21. श्री बी० शेषाशाई, सदस्य
सेकाल्स लिमिटेड,
8, रैटलैन्ड गेट,
पोस्ट बैग नं० 458,
मद्रास–600006 ।

22. श्री एम० एफ० तम्बोली
प्रबन्ध निदेशक, सदस्य
मेसर्स स्टील कास्ट भावनगर प्रा० लिमिटेड,
रोभापार रोड़,
भावनगर–364001 ।

23. श्री एफ० डी० नेसरवाला, सदस्य
ग्रुप उपाध्यक्ष,
मै० यूनिवर्सल फैरो एण्ड अलाइड केमीकल्स
लिमिटेड, लिबर्टी बिल्डिंग,
सर बिट्ठलदास टेकरसी मार्ग,
बम्बई–400020 ।

24. श्री वी० केडिया, सदस्य
मेसर्स नितिन कास्टिंग्स,
21, कामर्शल हाउस,
रोमबाक स्ट्रीट,
बम्बई–400074 ।

25. श्री आर० शाह, सदस्य
प्रबन्ध निदेशक,
मै० मुकन्द आयरन एण्ड स्टील वर्क्स,
लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, कुर्ला,
बम्बई–400074 ।

26. श्री आर० एन० सेठ, सदस्य
महाप्रबन्धक (व्यापार विकास),
इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड,
पार्लियामेन्ट स्ट्रीट,
नई दिल्ली ।

27. श्री भट्टाचार्य, सदस्य
मै० यूनिअबेक्स अलाय प्रोडक्टस लिमिटेड,
लिबर्टी बिल्डिंग,
सर बिट्ठलदास ठाकरसी मार्ग,
बम्बई–400020 (महाराष्ट्र) ।

28. श्री एस० एस० खोसला, सदस्य–सचिव
विकास अधिकारी,
तकनीकी विकास का महानिदेशालय ।

29. अन्य सदस्यों को, जैसा भी आवश्यक हो, अध्यक्ष की स्वीकृति से सहयोजित किया जा सकता है ।

3. नामिका के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं ।

(क) उद्योग की वर्तमान स्थिति और परिप्रेक्ष्यों पर विचार करना और सम्बन्धित क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इसके विकास के लिए उपायों की सिफारिश करना ।

(ख) प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर का निर्धारण करना और उसे विशेष रूप से गुणवत्ता नियंत्रण, ऊर्जा/सामग्री परिरक्षण, उपज, प्रदूषण नियंत्रण, उत्पादकता में सुधार आदि के क्षेत्रों में अन्तरराष्ट्रीय स्तरों के बराबर लाने के उपायों की सिफारिश करना ।

(ग) इस बात की जांच करना कि मानकीकरण किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है और भारतीय मानक संस्था के परामर्श से और आगे मानकीकरण के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों का विकास करना जिसके लिए कुछ प्रमुख उपयोक्ता क्षेत्रों का पता लगाया जाना चाहिए ।

(घ) निर्यात बढ़ाने के लिए, आधुनिकीकरण, लागत नियंत्रण और प्रक्रियाओं तथा तकनीकों के आयात के लिए उपायों की सिफारिश करना ।

(ङ) अनुसंधान तथा विकास ।

(च) उद्योग की दशा और वृद्धि से सम्बन्धित कोई अन्य पहलू ।

4. नामिका का कार्यकाल दो वर्ष का होगा ।

5. इस सलाहकार नामिका की बैठक स्थिति की समीक्षा करने के लिए छः महीने में एक बार और यदि आवश्यक हुआ तो इससे अधिक बार अध्यक्ष द्वारा तय किए गये स्थानों पर होगी । यह अपने किए गए कार्यों के बारे में भारत सरकार को सावधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

6. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए ।

7. यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए ।

डी० एस० पूनिया, अवर सचिव

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 1985

संकल्प

सं० 17–1/84–एल० डी० 1—भारत सरकार ने इस मंत्रालय के तारीख 9 फरवरी तथा 30 मई, 1984 के संकल्प संख्या 17–1/84 एल० डी० 1 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री एल० के० झा की अध्यक्षता में गठित आपरेशन फ्लड–2 परियोजना की मूल्यांकन समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की अवधि को 31 दिसम्बर, 1984 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है । अन्य शर्तें यथावत रहेंगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व, निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, सभी राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर० के० श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जनवरी 1985

सं० एफ० 1-1/85-पी० एन०-I-राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान की नियमावली के नियम 6 के उपनियम 2(क) के साथ पढ़े जाने वाले उपनियम 1(क) के अधीन भारत सरकार ने श्री कृष्ण चन्द्र पन्त, शिक्षा मंत्री को 13-1-1985 से अगले आदेशों तक संस्थान की परिषद के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है।

नरेन्द्र सिन्हा, अवर सचिव

MINISTRY OF PLANNING

DEPARTMENT OF STATISTICS

New Delhi-110001, the 18th January 1985

No. M-13011/1/82-NSS.II.—In accordance with the provisions of paragraph 5 of the Government of India, Department of Statistics Resolution No. DS/STS/4-69 dated the 5th March, 1970, read with ADDENDUM No. M.13011/2/80-NSS.II dated 26-3-84 the Government of India hereby reconstitutes the Governing Council for the National Sample Survey Organisation (NSSO) with effect from the 20th November, 1984. The composition of the Council will be as follows :—

Non-officials

Chairman

1. Prof. B. S. Minhas,
C-118. Defence Colony,
New Delhi-110024.

Members

2. Prof. N. Bhattacharya,
Indian Statistical Institute,
203, B. T. Road,
Calcutta-700035.

3. Shri A. K. Adhikari,
Indian Statistical Institute,
203, B. T. Road,
Calcutta-700035.

4. Dr. B. D. Sharma,
Vice Chancellor.
North Eastern Hill University,
Lower Lachamiere,
Shillong-793001

5. Prof K. Krishnamurthy,
Institute of Economic Growth,
University Enclave,
Delhi-110007.

6. Dr. C. T. Kurien,
Director,
Madras Institute of Development
Studies 79 Second Main Road,
Gandhinagar,
Madras-600020.

Officials

7. Dr. S. P. Gupta,
Adviser. Planning Commission,
New Delhi.

8. Principal Adviser,
Reserve Bank of India,
Bombay.

9. Director,
Bureau of Economics & Statistics
Govt of Gujarat Sector-19,
Gandhi Nagar-382010.

10. Director,
Economics & Statistics,
Government of Karnataka,
Multi-storeyed Building,
Dr. B. R. Ambedkar Veedhi,
Bangalore-530001.

11. Director,
Economics & Statistics,
Government of Himachal Pradesh,
Simla-171004.

12. Director General,
Central Statistical Organisation,
Department of Statistics,
New Delhi.

13. Executive Director,
Computer Centre,
Department of Statistics,
New Delhi.

14. Director,
Survey Design & Research Division,
N.S.S.O., Calcutta-700017.

15. Director,
Field Operations Division,
N.S.S.O., New Dheli-110022.

16. Director,
Data Processing Division,
N.S.S.O., Calcutta-700017.

17. Director,
Economic Analysis Division,
N.S.S.O., New Delhi-110008.

Member-Secretary

18. Chief Executive Officer,
National Sample Survey Organisation,
Deparmtent of Statistics,
New Delhi.

2. The present term of office of 5 years of the Chairman is upto 19-11-1985.

3. The appointments of non-officials/officials members from Institutions and State Govts./Central Ministries mentioned at S. No. 2 to 11. shall be for a period of two years with effect from 20-11-84.

MAHENDRA NATH
Dy. Secy.

DEPARTMENT OF ELECTRONICS

New Delhi, the 31st January 1985

RESOLUTION

No. NMC/1/85.—Microelectronics and specifically Large Scale and Very Large Scale Integrated circuits (LSI/VLSI) is universally recognised as a key enabling technology in any development programme related to advanced information technology. The Department of Electronics constituted a high-level Task Force in February, 1982 to formulate a

national programme in LSI/VLSI. The Task Force had submitted its report suggesting a comprehensive programme for achieving a capability of fabricating 1 million components on a chip based on 1-micron technology from the level of 33,000 components on a chip using 5-micron technology. The suggested programme involves an outlay of approximately Rs. 400 crores over the period of a decade. In order to oversee and coordinate a national programme of the magnitude envisaged the Task Force had also recommended the setting up of a National Microelectronics Council (NMC). The Electronics Commission considered the report of the Task Force and has accepted the recommendation.

Accordingly, the Government of India have decided to set up a National Microelectronics Council with full executive and financial powers.

Composition : The Council shall be composed of the following :

Chairman

1. Chairman, Electronics Commission.

Members

2. Secretary, Department of Electronics
3. Secretary, Department of Space
4. Secretary, Ministry of Communications
5. Secretary, Deptt. of Industrial Development
6. Secretary, Deptt of Defence Production & Supplies
7. Secretary, Department of Defence R&D (SA to Raksha Mantri).
8. Secretary, Ministry of Education

Research-Member

9. Director-General. Council of Scientific & Indl.

Members

10. Secretary, Deptt. of Atomic Energy
11. Member Finance, Electronics Commission
12. Secretary, Electronics Commission

To be nominated by the Chairman, Electronics Commission

13.&14. Two specialists in the area of Microelectronics

Member-Secretary

15. Member-Secretary, NMC

Functions : The Council shall be responsible :

1. For acting as the nodal point to ensure that the direction, pace and quality of the overall programme in the field of microelectronics is such that, the nation as a whole benefits from the efforts of the various agencies involved;

2. For formulating periodically reviewing and updating an integrated national plan for Microelectronics, covering R&D, technology development, production, applications etc. in all areas;

3. For taking measures, both promotional and regulatory, to bring about maximum standardisation in national requirements of Microelectronic Circuits, and where appropriate, Microelectronic sub-systems and systems;

4. For preparing and ensuring the implementation of a technology plan to meet the nation's short and long term requirements of Microelectronics as defined above, on a maximally self reliant basis;

5. For considering as part of the technology plan and its implementation, all proposals for import of technology and foreign collaboration/assistance relating to Microelectronics—whether by manufacturing companies R&D institutions or other agencies—and for taking decisions on them;

6. For preparing, also as part of the technology plan, an integ[illegible] R&D including futuristic aspects, [illegible] circuits design, production processes, special materials and, as appropriate, capital goods for production, etc, and for undertaking the promotion, coordination and financing needed to have that plan implemented for that purpose, the Council will consider, approve and monitor all R&D programmes in the country relating to microelectronics;

7. For taking all measures, both promotional and regulatory, to ensure the realisation, in a coordinated manner, of adequate production capacity for microelectronic circuits of all types;

8. For relating and integrating the measures at (3) to (7) above in such a manner as to ensure that specific user requirements, particularly in critical and strategic areas, are met on the basis of maximum self reliance;

9. For drawing up a comprehensive plan and specific action programme for the generation, in the shortest possible time, of the different types and numbers of scientific and technical manpower needed for the nation's microelectronics efforts, whether in R&D production or applications, and for undertaking the promotion, coordination and financing needed to have that plan implemented as a matter of priority;

10. For formulating all such fiscal, import, industrial and other regulatory and promotional policies as may be necessary to ensure that the nation builds up a technological and production capacity in Microelectronics which is maximally self reliant; and

11. For defining and implementing all measures necessary for promoting all applications of Microelectronics relevant and appropriate to our economy and society.

Within the limits of the budget provision approved by the Parliament the Council shall have the powers of the Government of India both administrative and financial for carrying out its functions. The Council shall also have the power to frame its own Rules of procedure.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India and all the State Governments/Union Territories.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. W. NERURKAR
Joint Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi-1, the 19th January 1985

ORDER

No. 27/12/84-CL II.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 209-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorises Shri J. K. Puri, Cost Accounts Officer, in the Directorate General of Supplies & Disposal to inspect the books of account and other books and papers of Companies, detailed in the Annexure 'A' to this order. He will submit his reports to the Department of Company Affairs and will be subject to the control of the said Department in exercise of his powers and discharge of his functions in this regard.

ANNEXURE—'A'

1. M/s. Prakash Tubes Ltd.
2. M/s. Jotindra Steel & Tubes Ltd.
3. M/s. Ravindra Tubes Ltd.
4. M/s. Appejay Tubes Pvt. Ltd.
5. M/s. Jindal Industries Ltd.
6. M/s. Shri Ambica Mills Ltd.

7. M/s. Khandelwal Tubes,
   Prop. Khandelwal Ferro & Alloys Ltd.
8. M/s. Ajanta Tubes Ltd.
9. M/s. Hindustan Pipes Udyog Ltd.
10. M/s. Jindal (India) Ltd.
11. M/s. Swastik Pipes (P) Ltd.
12. M/s. Haryana Tube Mfg. Co. (P) Ltd.
13. M/s. Jindal Pipes Ltd.
14. M/s. Shivmoni Steel Tubes Ltd.
15. M/s. Gujarat Steel Tubes Ltd.
16. M/s. Quality Steel Tubes
17. The Indian Tube Co. Ltd.
18. Bharat Steel Tubes Ltd.
19. Zenith Steel Pipes & Ind. Ltd.
20. Janak Steel Tubes (P) Ltd.
21. U. P. Metal Ind. Ltd
22. Jain Tube Co. Ltd.
23. Apollo Tubes Ltd.
24. Indian Metal & Ferro Alloys Ltd.
25. Metalman Pip Mfg. Co. P Ltd.
26. Surendra Ind. Bombay Pvt. Ltd

C. L. PRATHAM, Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

New Delhi, the 17th January 1985

RESOLUTION

(Constitution of a Panel for the Steel Castings Industry)

No. 13026(41)/84-EIM.—In view of the growing importance and the role of Steel Casting Industry as a basic industry for machine building, transportation equipment etc. and in view of the need for a constant review of demand, capacity technology level in greater details and for correlating various efforts made in that field, it is considered necessary that the problem of the industry should be kept under constant review by an expert advisory body. The term of earlier Panel for Steel Casting Industry which was constituted in August, 1982 had expired on 30th August, 1984. In view of the continuing need for constant review of the industry, Government have decided to re-constitute the Panel for Steel Castings Industry :—

2. The Panel will consist of :—

Chairman

1. Shri S. C. Dhingra,
   Adviser (Tech) & Ex-Officio Joint Secretary,
   Deptt. of Heavy Industry,
   Ministry of Industry, New Delhi.

Members

2. Shri K. P. Parameswar,
   Adviser (I & M), Planning Commission,
   New Delhi.
3. Shri O. P. Tantia,
   Bhartia Electric Steel Co. Ltd.,
   8-Anil Maitra Road,
   Calcutta-700 019.
4. Shri V. Ramakrishnan,
   Managing Director,
   Ramakrishna Steel Industry Ltd.
   Karamadai-641 104,
   Coimbatore Distt (Tamil Nadu)

Members

5. Shri C. M. Gupta,
   General Manager,
   Central Foundry Forge Project,
   Bharat Heavy Electricals Ltd.,
   Hardwar, U.P.
6. Shri Tarun Das,
   Executive Director,
   Association of Indian Engg. Industry,
   172, Jor Bagh, New Delhi.
7. Shri P. C. Neogy,
   Director,
   Foundry Forge Plant,
   Heavy Engineering Corporation,
   Ranchi.
8. Shri A. B. Mallik, I.A., DGTD
   New Delhi.
9. Shri N. Viswanathan,
   Director (Stores),
   Railway Board,
   Ministry of Railways,
   New Delhi.
10. Shri J. P. Chowdhury,
    M/s. Titagarh Steel Ltd.,
    'Poddar Point',
    Park Street,
    Calcutta-700 016.
11. Shri V. Raman,
    Chairman,
    Cement Machinery Manufacturing Division,
    AIEI, New Delhi.
12. Shri S. Bhardwaj,
    Hon. Secretary,
    Indian Institute of Foundrymen,
    Bombay.
13. Shri G. S Bhakta,
    Dir (Metals),
    DCSSI, Nirman Bhavan,
    New Delhi.
14. Shri P. K. Mallik,
    Addl. Dir. (Dev), Railway Board,
    Ministry of Railways,
    New Delhi.
15. Shri Dakshinamurthy,
    Indian Standard Institute,
    Calcutta.
16. Shri M. K. Abdulhamid,
    Joint Secretary,
    Ministry of Defence,
    Deptt. of Def. Supplies,
    South Block, New Delhi.
17. Shri R. Wanchoo,
    DGOF,
    Calcutta.
18. Shri Ramachandran,
    General Manager,
    HMT, Bangalore.
19. Shri P. B. Godbole,
    Godrej India Ltd.,
    Bombay.
20. Godrej India,
    Shri P. Krishnamurthy,
    Managing Director,
    M/s. Sivananda Steel Limited,
    240, Davan Bahadur Road,
    Coimbatore-641 002.
21. Shri B. Seshasayee,
    SECALS Ltd.,
    8, Rutland Gate,
    P.B. No. 458,
    Madras-600 006.

22. Shri M. F. Tamboli,
Managing Director,
M/s. Steel Cast Bhavnagar Pvt. Ltd.,
Rouvapuri Road,
Bhavnagar-364 001.

23. Shri F. D. Naterwala,
Group Vice-President,
M/s. Universal Ferro & Allied Chemicals Ltd.,
Liberty Building,
Vithal Das Thackersay Marg,
Bombay-400 020.

24. Shri R. P. Kedia,
Managing Director,
M/s. Nitin Castings,
21, Commercial House,
Rop Walk Street,
Bombay-400 074.

25. Shri R. Shah,
Managing Director,
M/s. Mukund Iron & Steel Works,
Lal Bahadur Shastri Marg,
Kurla,
Bombay-400 074.

26. Shri R. N. Seth,
General Manager (Business Development),
Engineering India Limited,
Parliament Street,
New Delhi.

27. Shri Bhattacharya,
M/s. Uniabex Alloy Products Ltd.,
Liberty Building,
Sir. Vithal Das Thackersay Marg,
Bombay-400 020.

Member-Secretary

28. Shri S. S. Khosla,
D.O., DGTD,
New Delhi.

29. Other members can be co-opted as necessary with approval of the Chairman.

3. The terms of reference of the Panel are :—

(a) To consider the present status & perspectives of the Industry and to recommend measures for its growth keeping in view the development programmes of the related sectors.

(b) To evaluate the present level of technology and to recommend measures to bring the same at par with the international levels specially in the areas of quality control, energy/material conservation, yield, pollution control, improvement of productivity, etc.

(c) To examine the extent to which standardisation has been achieved and evolve specific programmes for further standardisation in consultation with the ISI for which a few major user sectors should be identified.

(d) To recommend measures for increasing exports, for modernisation of the industry, for cost reduction programmes and for improvement of processes.

(e) Research & Development.

(f) Any other aspects relevant to the health and growth of the industry.

4. The term of the panel will be 2 years.

5. This Advisory Panel will meet to review the position once in six months and more frequently if occasion warrants, at such places as may be decided by the Chairman. It will submit periodical reports to the Government of India about the matters handled by it.

6. Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

7. Ordered also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India.

D. S. POONIA
Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

DEPTT. OF AGRI. & COOPN.

New Delhi, the 14th January 1985

RESOLUTION

No. 17-1/84-LD.I.—In partial modification of this Ministry's Resolution No 17-1/84-LD.I dated 9th February, and 30th May, 1984, it has been decided by the Government of India to extend the period for submission of report by the Evaluation Committee on Operation Flood II Project under the Chairmanship of Shr L. K. Jha upto 31st December, 1984. The other terms and conditions will be the same.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the all Ministries/Departments of the Government of India, Cabinet Secretariat the President's Secretariat, the Prime Minister's Office, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, the Accountant General, Central Revenue, the Director of Commercial Audit, All State Governments/Union Territories.

Ordered also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. K. SRIVASTAVA
Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

New Delhi, the 19th January 1985

No. F.1-1/85-PN.I.—Under sub rule (1)(a) read with sub rule (2)(a) of rule 6 of the Rules of the National Institute of Educational Planing and Administration, the Government of India has nominated Shri K. C. Pant, Minister of Education, as President of the Council of the Institute with effect from 13-1-85 and until further orders.

N. P. SINHA
Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1985